आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
24-07-2023	**वाद सं0–33 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला–सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम स्वयं उपस्थित। शिकायतकर्ता ने आयोग को भेजे अपने शिकायत–पत्र में मुलतः दो बिन्दु की शिकायत की है। उनकी पहली शिकायत यह है कि डुमरिया महिला मण्डल की वर्ष 2021 और 2022 में AAY और PH के लाभुकों की सूची में गड़बड़ी है। इनका आरोप है कि बड़ी संख्या में लाभुकों की Double-Double कार्ड पर अनाज का आवंटन डीलर को किया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग को भेजे शिकायत–पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उन्होंने पूर्व में इस संदर्भ में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त से भी शिकायत की थी और जांच का आग्रह किया था। शिकायतकर्ता ने की दूसरी शिकायत यह है कि डुमरिया महिला मण्डल द्वारा लाभुकों से अनाज के लिए प्रति कि0ग्राम0 1रू० और 3 कि०ग्रा० नमक पर 10 रू० लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत–पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि संबंधित गड़बड़ियों को शिकायतकर्ता द्वारा संचालित youtube channel www.nntnewsjharkhand.com पर भी प्रसारित किया गया है। आयोग मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित खबरों का संज्ञान ले सकता है। लेकिन प्रसारित और प्रकाशित खबर की सत्यता की जांच अधिकारियों द्वारा जांच के बाद अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन के द्वारा ही प्रमाणित ही किया जा सकता है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता के शिकायत–पत्र के आलोक में सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रति आयोग को समर्पित की है। जांच प्रतिवेदन में अनुमण्डल पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता के दोनों आरोपों पर अपना विस्तृत पक्ष पेश किया है। शिकायतकर्ता की बिन्दु एक की शिकायत जिसमें Duplicate और फर्जी PH और AAY कार्ड के होने की बात लिखी है। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन में भी यह माना गया है कि संबंधित PDS की दुकान में कुल PH के 22 और AAY के 10 लाभुकों का नाम मृत्यु / डबल है। मतलब शिकातकर्ता के शिकायत संख्या एक को अनुमण्डल पदाधिकारी ने सही पाया है, लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि जितना उन 32 कार्ड के विरूद्ध राशन डीलर को जो अनाज उपलब्ध कराया गया है उसका वितरण नहीं किया गया। वो राशन डीलर के स्टॉक में उपलब्ध है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि सरकारी राशन की कालाबाजारी की गई हो या उसका दुरूपयोग किया गया हो। शिकायतकर्ता के बिन्दु–2 के शिकायत को अनुमण्डल पदाधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में निराधार बताया है। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा उनके शिकायत के विरूद्ध आयोग को समर्पित जांच प्रतिवेदन की प्रति आयोग की सुनवाई में हाथों–हाथ उपलब्ध कराया जा रहा है। आयोग शिकायतकर्ता से यह आग्रह करता है कि यदि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पेश की गई प्रतिवेदन को गलत प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य या तथ्य उसने पास हो तो वो आयोग को समर्पित कर सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा यदि ऐसा किया जाता है तो आयोग इस वाद की नई सिरे से सुनवाई प्रारम्भ कर सकता है। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 31.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	